न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग – पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सीमा पात्रे)

रा.प्र.क्र.09 / अ–62 / 2024–25
202507053200012
ग्राम–शिवपुर, प.ह.नं.09
रा.नि.मं.–पोंड़ी, तहसील– पाली
जिला – कोरबा (छ.ग.)

छ.ग.शासन ....आवेदक

बनाम्

01.श्रीराम ग्रीन फ्यूल एल.एल.पी.के भागीदार अमिषा अग्रवाल
पता मिशन रोड ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर(छ.ग.)
02.श्री निरंजन सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम रतनपुर तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)..अनावेदक

–:: आदेश ::–

पारित दिनांकः– 21 / 07 / 2025

पटवारी ह.नं.09, रा.नि.मं.पोंड़ी तहसील पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.) द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 17.05.2025 प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया था कि, कि, ग्राम शिवपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 541 / 22, 541 / 38, 541 / 42, 541 / 48, 541 / 49, 541 / 52, 541 / 54 पर लगे वृक्षों की अनाधिकृत रूप से वृक्षों की कटाई की जा रही है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्र. / 745 / अ.वि.अ.(रा.) / वा.01 / 2025 पाली दिनांक 19.05.2025 अनुसार संयुक्त दल गठित कर अवैध वृक्ष कटाई के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। संयुक्त दल के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम शिवपुर के लगभग 8.00 एकड़ भूमि का समतलीकरण कर भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करना पाया गया। जो कि मूल रूप से खसरा नंबर 541 के सीमा के अंदर है। स्थल पर मिट्टी फीलिंग कर पूर्ण रूप से समतलीकरण कर दिया गया है। मौका स्थल पर काटे गए वृक्षों के ठूंठ / अवशेष नहीं पाए जाने के कारण तथा राजस्व अभिलेख में वृक्षों की संख्या दर्ज ना होने के कारण संबंधित स्थल को सैटेलाइट इमेजिंग छवि के जरिए अवलोकन किया गया जिसके आधार पर एक अनुमानित आंकड़ा लगभग 50–60 वृक्षों को काटा जाना प्रतीत होता है। खसरा नंबर 541 / 81 के भूमिस्वामी या उसके निकटवर्ती खसरों के भूमि स्वामियों द्वारा अनाधिकृत कटाई कराया गया होगा।

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–34 / सात–1 / 2021 दिनांक 11 फरवरी 2022 अनुसार वृक्ष कटाई हेतु "वृक्ष कटाई के नियम 2022" प्रभावशील किए गए हैं तथा उक्त नियम अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को वृक्ष कटाई की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त नियम की कण्डिका 9(2) अनुसार जहॉ राजस्व अधिकारी अनुविभागीय (राजस्व) से पृथक कोई अधिकारी हो, तो वहॉ ऐसे अधिग्रहण का प्रतिवेदन उसके द्वारा 07 कार्य दिवस के अंदर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ऐसी कार्यवाही हेतु पेश की जाएगी, जैसा कि वह संहिता की धारा 253 के अंतर्गत करना उचित माने। अतः संयुक्त दल के

क्रमशः........02

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज किया गया तथा प्रतिवेदन में उल्लेखित खसरा नंबर के राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वामियों को पक्ष प्रस्तुति हेतु आहूत किया गया।

सुनवाई तिथि दिनांक 16.07.2025 को प्रतिवेदन में उल्लेखित खसरा नंबर 541/22, 541/38, 541/42, 541/48, 541/49, 541/52, 541/54 के वर्तमान अभिलेख में दर्ज खातेदार, श्रीराम ग्रीन फ्यूल एल.एल.पी.के भागीदार अमिषा अग्रवाल पता मिशन रोड ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर(छ.ग.) की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश श्रीवास्तव द्वारा वकालतनामा एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि, अनावेदक द्वारा अपनी भूमिस्वामी हक की भूमि पर स्थित किसी भी अधिसूचित अथवा इमारती किस्म के वृक्ष की कटाई नहीं की है। अनावेदक की भूमिस्वामी हक की भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार का वृक्ष दर्ज अथवा स्थित नहीं है। पूर्व में भी किसी प्रकार का वृक्ष स्थित एवं दर्ज नहीं था। अनावेदक द्वारा अपनी भूमिस्वामी हक की भूमि पर अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने हेतु भूमि का समतलीकरण किये जाने हेतु अपनी उक्त भूमि पर स्थित खरपतवार एवं अनुपयोगी झाड़ियों जैसे परसा, अर्जुन आदि को हटाया गया है जिसकी अनुमति नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण न्यायालय से अनुमति नहीं ली गई है।

चूँकि अनावेदक पक्ष क्र.01 द्वारा वाद भूयिमों पर स्थित पूर्ण रूप से परिपक्व 60 नग वृक्षों की कटाई नियम विरूद्ध की गई है। छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 253 के तहत् अनावेदक पक्ष क्र.01 को प्रति खसरा रू. 10,000–00 (शब्दों में रू.दस हजार मात्र) की दर से कुल 07 खसरा नंबर की भूमियों पर कुल रू. 70,000–00 (शब्दों में रू.सत्तर हजार मात्र) का अर्थदण्ड से आरोपित किया जाता है। अनावेदक पक्ष क्र.01 उक्त राशि 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (वन) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) मे जमा करते हुए रसीद की प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। इस आदेश के पालन के अवहेलना कर अनुपस्थित होने पर अनावेदक पक्ष क्र.01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी। यदि वन विभाग द्वारा काटे गये वृक्षों की अभिरक्षा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया गया है तो इस आदेश के तत्काल बाद उप मण्डलाधिकारी वृक्षों हिस्सों को वन विभाग के डिपो तक परिवहन करना सुनिश्चित करेंगें।

एतद् अनुसार आदेश आज दिनांक 21/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से पारित एवं घोषित।

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला– कोरबा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 1368 /अ.वि.अ.(रा.)/वा.01/2025 पाली, दिनांक 21/07/2025

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. तहसीलदार पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. पटवारी हल्का नंबर 09 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।
4. श्रीराम ग्रीन फ्यूल एल.एल.पी.के भागीदार अमिषा अग्रवाल पता मिशन रोड ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला –कोरबा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) सत्यमेव जयते

समाप्त्।